

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

सी0सी0ए0 (जिला बदर) वाद संख्या - 23/2017

राज्य बनाम् संजीत नियोगी

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

25-10-2017

--:: आदेश ::--


पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक 535/डी0सी0बी0 दिनांक 20.07.2017 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी संजीत नियोगी, पे0-नरेन्द्र नाथ नियोगी, सा0-स्टीम कॉलनी, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा- 3(3)(क) के तहत जिला निष्कासन करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।


उक्त प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा- 3(1)(a&b) के तहत अभियुक्त संजीत नियोगी के विरुद्ध नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को कार्यालय पत्रांक 502/विधि दिनांक 29.07.2017 से भेजा गया। पुनः तामिला प्राप्ति हेतु कार्यालय पत्रांक 646/विधि दिनांक 06.10.2017 से स्मारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से अबतक नोटिस तामिला अप्राप्त है। फलतः उक्त अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नियमसंगत प्रतित नहीं होती है।

अतः पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा- 3(3)(क) के तहत विधिवत् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए, पुनः नये सिरे से अभियुक्त संजीत नियोगी, पे0-नरेन्द्र नाथ नियोगी, सा0-स्टीम कॉलनी, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के विरुद्ध जिला निष्कासन करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ न्यायालय को उपलब्ध कराई जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को भेजे। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।